



2026:AHC-LKO:15597-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

विशेष अपील संख्या - 298 सन 2025

आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा
निबंधक एवं 2 अन्य

..... अपीलकर्ता(ओं)

बनाम

राम जट्टी

.....प्रतिवादी(ओं)

अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	प्रशांत कुमार सिंह
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	शैलेंद्र सिंह राजावत

न्यायालय संख्या - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय

माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।

2. यह विशेष अपील अपीलकर्ताओं द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली, 1952 के अध्याय VIII नियम 5 के अंतर्गत दायर की गई है, जिसमें रिट - सी संख्या 6641/2025 (राम जट्टी बनाम आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और अन्य) में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिनांक 26.08.2025 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है।

3. मामले पर विस्तार से बहस करने के बाद, प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.एस. राजावत ने स्वीकार किया कि आक्षेपित निर्णय को रद्द किया जाना चाहिए, हालांकि, विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश/विनियमों के अनुसार पुनरीक्षण उम्मीदवार के रूप में बी.एस.सी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन के तीसरे वर्ष को पूरा करने के प्रतिवादी के किसी भी अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

4. पूछे जाने पर, अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि वे इस समय न्यायालय की सहायता करने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या प्रतिवादी को चालू वर्ष में तृतीय वर्ष के छात्र के रूप में अध्ययन में भाग लेने और परीक्षा में बैठने की अनुमति होगी या नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय को इस अनुरोध पर संबंधित अध्यादेशों, विनियमों, कानूनों आदि के अनुसार निर्णय लेने के लिए खुला छोड़ दिया जाए।

5. उपरोक्त तथ्यों और दिनांक 04.09.2025 के हमारे पूर्ववर्ती आदेश में दिए गए कारणों के मद्देनजर, आक्षेपित निर्णय मान्य नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। हालांकि, प्रतिवादी को अपीलकर्ता विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष उपर्युक्त अनुरोध करते हुए आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता दी जाती है, जिस पर विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम, विधियों, अध्यादेश, विनियमों या कानून के अन्य प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा और इस मामले में शीघ्र निर्णय लिया जाएगा, उदाहरण के लिए इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर।

6. यह स्पष्ट किया जाता है कि हमने प्रतिवादी द्वारा किए जाने वाले अनुरोध के गुण-दोष पर निर्णय नहीं किया है।

7. याचिका का निस्तारण उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

फ़रवरी 25, 2026

प्रवीण/-

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन रॉय]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।